सत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीयविद्यालयसंगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area,SaheedJeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/FAX 26514179
हिंदी अनुभाग फैक्स/FAX 26524580
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

फ.सं. 11029-5/2019-केविसं(मु0)/प्रशा.-1 दिनांक: 01 फरवरी, 2019

उपायुक्त/निदेशक,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/ आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

विषय: मातृत्व लाभ-(संशोधन) अधिनियम, 2017- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न प्रतिष्ठानों में शिशुगृह सुविधा प्रदान करना।

महोदया/महोदय,

भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) ने दिनांक 28.03.2017 की राजपत्र अधिसूचना के तहतमातृत्व लाभ अधिनियम में निम्नानुसार नई धारा 11 ए, अर्थात **"शिशुगृह सुविधा"** को जोड़ा है –

" 11 ए, (आइ) प्रत्येक प्रतिष्ठान जिसमें पचास या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों या तो पृथक अथवा संयुक्त सुविधाओं के साथ, इतनी दूरी के अंदर जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है शिशु-गृह सुविधा प्रदान करेंगे ।

नियोक्ता महिलाओं को एक दिन में चार बार शिशुगृह में जाने की अनुमति देंगे, जिसमें उसे आराम के लिए दिया गया अंतराल भी शामिल होगा।

(2.) हरेक प्रतिष्ठान प्रत्येक महिला को उनके आरंभिक नियुक्ति के समय अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध प्रत्येक लाभ के बारे में लिखित तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी देगा।"

केविसं को अधिनियम के उक्त प्रावधानों अर्थात ऐसे सभी केन्द्रीय विद्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/मुख्यालय में शिशुगृह सुविधा लागू करनी है जहां कर्मचारियों की संख्या पचास या इससे अधिक है।

तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों में उचित कार्ययोजना के साथ उपरोक्त प्रावधानों को क्रियान्वित करें।

अंग्रेजी एवं हिन्दी में जारी इस परिपत्र के विषय-वस्तु में कोई संदेह होने की स्थिति में, अंग्रेजी में जारी पत्र मान्य होगा।

यह पत्र आयुक्त केविसं के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

01/02/2019

(डॉ. शचीकांत)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

प्रतिलिपि:-

1. उपसचिव (यू टी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निजी सचिव।
3. अपर आयुक्त (प्रशासन एवं शैक्षिक) के निजी सचिव
4. सहायक आयुक्त (सेवा एवं आपूर्ति) , केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. संयुक्त आयुक्त (वित्त/प्रशिक्षण, केन्द्रीय विद्यालय संगठन)
6. अधीक्षण अभियंता , केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
7. विशेष कार्य-अधिकारी (ओ एस डी), रक्षा, केविसं.
8. सहायक आयुक्त (स्था.1 तथा स्था-2& 3) केविसं. को अपेक्षित कार्रवाई हेतु।
9. सहायक आयुक्त (ईडीपी) को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त अधिकारी, केविसं(मु.)।
11. प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय, मास्को/ काठमांडू/तेहरान।
12. अध्यक्ष/महासचिव, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ।

******